



Neutral Citation-2026: AHC:19549

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2761 वर्ष 2026

सत्य प्रकाशयाचिकाकर्ता
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: राजीव कुमार मिश्रा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्यायालय कक्ष संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति, प्रकाश पाडिया,

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के आलोक में, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादियों को इस आदेश से कोई आपत्ति होती है, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 - अपर आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को यह निर्देश दिया जाए कि वे पुनरीक्षण संख्या C20251500001327 का शीघ्रतापूर्वक निस्तारण करें।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय व्यतीत हो चुका है, तथापि आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 उपर्युक्त पुनरीक्षण का निस्तारण विधि के पूर्णतः अनुरूप और बिना किसी अनावश्यक स्थगन के करे, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)
28 जनवरी, 2026
प्रमोद त्रिपाठी

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"